

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क-2/2021

जयपुर, दिनांक: 10.08.2021

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र


विषय:— राजसेवकों के सेवाभिलेख में अंकित निवास स्थान के अनुसार विभिन्न पदों पर, निवास स्थान जिलों से अन्यत्र जिले में पदस्थापन के संबंध में।

इस विभाग में राजकीय सेवा के कार्मिकों का गृह जिला निर्धारित करने हेतु विभिन्न विभागों से विशेषकर कानून और व्यवस्था एवं अन्य महत्त्वपूर्ण फील्ड पदों पर राजसेवक का पदस्थापन उसके गृह जिले में करने या न करने के प्रकरण प्राप्त होते रहे हैं जबकि राज्य सरकार के प्रचलित सेवा नियमों एवं राजस्थान सेवा नियम, 1951 में गृह जिले के अंकन के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान/उल्लेख नहीं है। RAJASTHAN TRAVELLING ALLOWANCE RULES, 1971 के नियम 29 के उप नियम (2)(ii) में गृह (Home) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:—

The term 'home' referred to in these rules shall be the permanent home town or village as entered in the Service Book or other appropriate official record of the Government servant concerned or such other place as has been declared by him, duly supported by reasons such as ownership of immovable property, permanent residence of near relative, for example parents, brothers etc., as the place where he would normally reside but for service under the State Government.

सेवा पुस्तिका में निवास स्थान का ही कॉलम होता है। अतः निवास स्थान को गृह जिले का पर्याय मानते हुए राजसेवकों की नियुक्ति/पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:—

1. नियुक्ति/पदस्थापन/स्थानान्तरण हेतु राजसेवक की सेवा पुस्तिका में अंकित निवास स्थान को ही गृह जिला मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
2. राजसेवक की सेवा पुस्तिका में निवास स्थान संबंधी इन्द्राज के उपरान्त सामान्यतया उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
3. महिला राजसेवक के प्रकरण में विवाह उपरान्त पति के मूल निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर निवास स्थान (गृह जिला) में परिवर्तन किया जा सकेगा। विवाह के पश्चात् महिला राजसेवक से पति के निवास स्थान या पिता के निवास स्थान का गृह जिला/निवास स्थान के रूप में विकल्प लिया जाएगा। एक बार विकल्प लिए जाने पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस हेतु महिला राजसेवक द्वारा विवाह के संबंध में शपथ-पत्र मय विवाह प्रमाण-पत्र एवं पति का मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगा। विवाह के पश्चात् महिला अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरण में निवास स्थान/गृह जिले के निर्धारण के संबंध में केवल माता-पिता और पति से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जायेगा किसी भी अन्य संबंधी (Relative) के संबंध में नहीं। महिला राजसेवक के पुनर्विवाह की स्थिति में पति के मूल निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः निवास स्थान/गृह जिला में परिवर्तन उपर्युक्त बिन्दु में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा।
4. फील्ड पोस्टिंग वाले पदों यथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक आदि के पदस्थापन के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाये कि उनका पदस्थापन सेवा अभिलेख में अंकित उनके निवास स्थान जिले/गृह जिला में नहीं किया जावे। उक्त पदों के अतिरिक्त संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न पदों के कार्यों की प्रकृति के आधार पर ऐसे पदों को भी चिन्हित किया जा सकता है जिन पर निवास स्थान जिले/गृह जिले में पदस्थापन नहीं किया जाना हो।



(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/सचिव।
5. रक्षित पत्रावली

6/2021


संयुक्त शासन सचिव